न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : **सत्यनारायण टेलर**, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
आपराधिक विविध सं0 : 82/2026

(सीआईएस नं0 154/2026 एवं CNR No. RJBR01000409-2026)

नरेन्द्र उर्फ भोला पुत्र अशोक कुमार निवासी जगजीवन राम कॉलोनी बारां थाना कोतवाली बारां जिला बारां (राज0) —प्रार्थी/अभियुक्त

:: बनाम ::

राज0 राज्य जरिये लोक अभियोजक, बारां (राज0) —अप्रार्थी/विपक्षी

जमानत प्रार्थनापत्र **अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.**
एफ0आई0आर0 नं0 59/2026 पुलिस थाना कोतवाली बारां
अपराध धारा 115(2), 126(2), 109(1) 309(6), 117(2), 118(1), 189(2) बी0एन0एस0

उपस्थितः—
1— श्री रघुवीर प्रसाद मीणा, अधिवक्ता— प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से।
2— श्री अरविन्द कुमार बघेरवाल, अधिवक्ता— फरियादी की ओर से।
3— श्री तेजेन्द्र शर्मा, लोक अभियोजक— अप्रार्थी/विपक्षी की ओर से

——:: **आदेश** ::—— **दिनांकः 09.03.2026**

1— प्रार्थी/अभियुक्त नरेन्द्र उर्फ भोला की ओर से **धारा 483 बी.एन.एस.एस.** के अन्तर्गत यह जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना कोतवाली बारां की **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 59/2026** अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 109(1) 309(6), 117(2), 118(1), 189(2) बी0एन0एस0 के सन्दर्भ में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां द्वारा दिनांक **17.02.2026** को खारिज किये जाने के उपरांत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। साथ ही प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र होने का प्रमाण पत्र पेश किया। जिसकी नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई गई, जिनकी ओर से केस डायरी पेश हुई।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार बताये गए हैं कि दिनांक 24.01.2026 को फरियादी उमेश कुमार नागर के पर्चा बयान जोनल अस्पताल बाहरां से हरिओम हैड कानि0 ने लाकर वापसी थाना पर इस आशय के पेश किए कि दिनांक 23.01.2026 को समय दिन के 12.00 बजे के लगभग की बात है, वह तलावडा रोड बारां पर उसकी आवासिये कॉलोनी महाराण प्रताप टाउनशिप कॉलोनी के मुख्य गेट के पास ही बैठा था और रवि ठेकेदार व रविन्द्र मुंशी को पैसे दे रहा था। उसके पास 45,000/—रूपये थे। रविन्द्र मुंशी को 34,000/—रूपये देने थे जो हाथ में पैसे लेकर उसका वह दे रहा था। उसी समय वहां पर दो मोटरसाईकिलों पर तीन—तीन व्यक्ति आये जिनको वह जानता नहीं है और आते ही उसके सिर पर धारदार धारिया व सरिया से सिर पर वार किया, जिससे उसके सिर में पीछे चोट आई हैं अज्ञात हमलावरों ने उसके सिर पर जान से मारने की नियत से वार किया था। उसी समय उसके हाथ में जो 45,000/—रूपये थे, उनको छीन लिया और उसके गले से दो तोले की सोने की चेन थी, वह भी तोड ली और अपने पास रख ली थी। फिर से भागकर आने लगा तो उसे आडे फिरकर रोक लिया और धारिया व सरिया से दोबारा वार किया, जिसको उसने हाथों से रोकर तो उसके दोनों हाथों व कंधों पर चोटें

आई हैं व दोनों घुटनों पर भी चोटें आई हैं। उसी समय रविन्द्र चिल्लाया तो प्रवीण और मुकेश भागकर उसे बचाने आये तो वह लोग वहां से भाग गये थे। उक्त हमलावरों को जानता नहीं है। लेकिन सामने आने पर पहचान सकता है तथा मोटरसाईकिलों के नंबर प्लेट भी नहीं थी। उसके उपर प्राणघातक हमला किस कारण किया गया, उसे इसकी जानकारी नहीं है। उसकी किसी से आपसी रंजिश नहीं है। मुकेश व प्रवीण दोनों उसे ईलाज हेतु प्रिया अस्पताल उसकी कार से लेकर गये थे, जहां वह बेहोश हो गया था जहां ईलाज करवाने के बाद उसे जोनल अस्पताल बारां में रेफर कर दिया था, वहां अभी उसका ईलाज जारी है.....इत्यादि।

3— उक्त पर्चा बयान के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली बारां में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 59/2026 अंतर्गत धारा 115(2), 126(2), 109(1) 309(6), 189(2) बी0एन0एस0 में पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान आरंभ किया गया। अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 115(2), 126(2), 109(1) 309(6), 117(2), 118(1), 189(2) बी0एन0एस0 का अपराध बनना पाया गया है। मामले में पुलिस अनुसंधान जारी है।

4— केस डायरी पर प्रार्थी/अभियुक्त नरेन्द्र उर्फ भोला का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड निम्न होना बताया है:—

क्र0सं0	मुकदमा नं0 मय थाना	धारा	चार्जशीट नंबर	वर्तमान स्थिति
01	275/2019 थाना कोतवाली बारां	143, 341, 323, 504 भा0दं0सं0	185/21.050.2019	न्यायालय ए.जे.एम. बारां द्वारा दिनांक 29.01.2025 को दोषसिद्ध कर धारा 4(1) का लाभ दिया
02	661/2022 थाना कोतवाली बारां	341, 323, 504, 34 भा0दं0सं0	464/31.10.2022	पेण्डिंग न्यायालय
03	750/2022 थाना कोतवाली बारां	341, 323, 34 भा0दं0सं0	467/31.10.2022	पेण्डिंग नयायालय

5— बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं हैं। प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है, उसका घटना से कोई संबंध नहीं रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 03.02.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के सहअभियुक्तगण अजय व रोहित का जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बी0एन0एस0एस0 इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2026 को स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला सहअभियुक्तगण से अधिक नही है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय हाजा द्वारा लगायी जाने वाली सभी शर्तो का कानून के अनुसार पालन करने को तैयार हैं। विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोडे जाने की प्रार्थना की।

6— वितर्क में फरियादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किये कि प्रार्थी/अभियुक्त ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी से 45 हजार रूपये छीनकर उसके ऊपर प्राण घातक हमला कर उसके साथ मारपीट की गई है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोडे जाने का विरोध किया गया।

7— विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज करने की प्रार्थना की।

8— प्रस्तुत तर्को पर मनन किया एवं सम्बन्धित विधि को विचार में लेते हुए अनुसंधान पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया।

9— अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त नरेन्द्र उर्फ भोला के विरूद्ध प्रकरण में अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 109(1) 309(6), 117(2), 118(1), 189(2) बी0 एन0 एस0 के आरोप होकर प्रकरण अनुसंधानाधीन है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध नामजद नहीं है। आहत उमेश कुमार के चोट प्रतिवेदन में उसके शरीर पर कुल 08 चोटें बताई गई हैं जिनमें से चोट सं0 2 बांये कंधे पर, चोट सं0 4 दाहिनी कोहनी व भुजा पर तथा चोट सं0 6 बांये घुटने व पैर पर कुन्द हथियार से कारित गंभीर प्रकृति की बताई गई हैं तथा चोट सं0 01 सिर पर धारदार हथियार से कारित साधारण प्रकृति की तथा चोट सं0 3, 5, 7 व 8 कुन्द हथियार से कारित साधारण प्रकृति की चोटें बताई गई हैं। यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त से एक लोहे का पाईप जब्त हुआ है किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट में फरियादी द्वारा उससे 45,000/—रूपये व उसकी चैन की लूट करना बताये अनुसार कोई रकम या चैन प्रार्थी/अभियुक्त या अन्य अभियुक्तगण से जप्त नहीं हुई है। इस प्रकरण के अन्य अभियुक्तगण अजय व रोहित का जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस इस न्यायालय के आदेश दिनांक 25.02.2026 द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला सह—अभियुक्तगण से अधिक नहीं है। जहां तक प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के आपराधिक प्रकरणों का प्रश्न है, प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के तीन आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताया है जिनमें से एक प्रकरण जो धारा 143, 341, 323, 504 भा0दं0सं0 से संबंधित है, में उसे परिवीक्षा पर छोडा गया है तथा दो अन्य प्रकरण धारा 341, 323 भा0दं0सं0 से संबंधित है, ये प्रकरण न्यायालय में लंबित होना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त इस प्रकरण में दिनांक 03.02.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। प्रकरण की इस स्टेज पर गुणावगुण पर मत व्यक्त करना अपेक्षित नहीं है। प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध बताये गए अपराध की प्रकृति को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना उचित प्रतीत होता है।

10— परिणामतः **प्रार्थी/अभियुक्त नरेन्द्र उर्फ भोला** की ओर से प्रस्तुत किया गया यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा **483 बी.एन.एस.एस** (प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 59/2026 थाना कोतवाली बारां) स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विद्वान अधीनस्थ न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां की संतुष्टि अनुसार **पच्चीस हजार रूपये** की दो जमानतें एवं **पचास हजार रूपये का** स्वयं का मुचलका न्यायालय में उपस्थिति बाबत् इस आशय का पेश कर तस्दीक करवा दे कि—

- वह न्यायालय में नियत प्रत्येक पेशियों पर हाजिर रहेंगा,
- ना तो स्वयं, ना ही किसी अन्य द्वारा गवाहान को धमकाएगा या बरगलाएगा,

आपराधिक कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, यदि प्रार्थी अपराध की पुनर्रावृति करता है तो अभियोजन एवं फरियादी पक्ष को जमानत आवेदन निरस्त कराने का अधिकार होगा, तो उसे नियमानुसार जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(सत्यनारायण टेलर)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बारां (राज0)

11— आदेश आज दिनांक **09.03.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सत्यनारायण टेलर)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बारां (राज0)

PRAMENDRA KUMAR GOYAL
sr. munshrim"Authenticated Document"
Digitally signed by PRAMENDRA KUMAR GOYAL.
Date: 2026.03.13 15:41:44 +0530